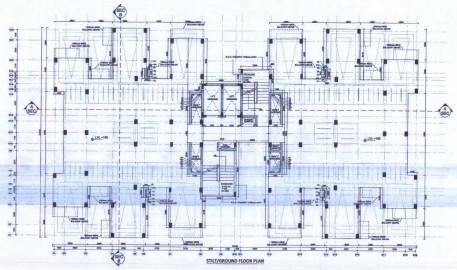

STILT/GROUND FLOOR PLAN

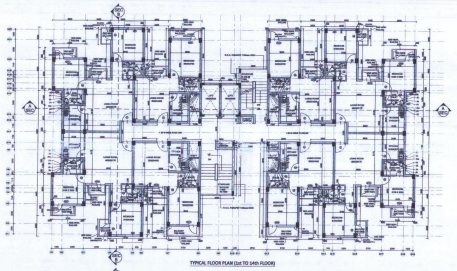

TYPICAL FLOOR PLAN (1st TO 14th FLOOR)

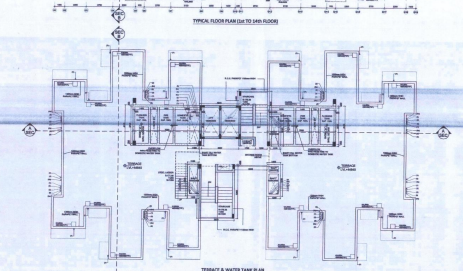

TERRACE & WATER TANK PLAN

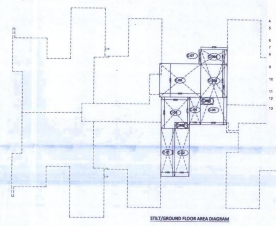

STILT/GROUND FLOOR AREA DIAGRAM

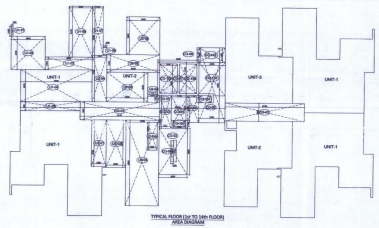

TYPICAL FLOOR (1st TO 14th FLOOR) AREA DIAGRAM

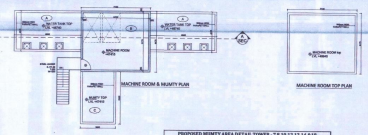

MACHINE ROOM & MUMTY PLAN

MACHINE ROOM TOP PLAN

प्राधिक अनुमोदन (सशर्तवाली आवास योजना)

1. परियोजना के प्रस्तावित 7 ब्लॉक (Block) जिसका अनुमत ऊँचाई 24.00.2017 के भवन विनियम दिनांक 24.10.2016 पर आधारित भवन मानचित्र होगा।
2. भू-स्वामित्व तथा भूमि उपयोग विवरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/राजस्व अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/मण्डलायुक्त/राजस्व परिषद/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के किसी प्रकरण/वाद/न्यायालय अवमानना प्रकरण/अन्य प्रकरण की सुनवाई के दौरान यदि भूमि उपयोग/भू-स्वामित्व में कोई त्रुटि है, तब भवन मान्य जिलाधिकारी तथा उक्त कोर्ट निर्णयों या निर्णयन करने वाली कोर्ट/अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/न्यायालय की अवमानना निर्णयानुसार ही मान्य मानचित्र होगा।
3. प्राधिकरण मानचित्रों/प्लान में उल्लिखित भवन की अनुमत मुख्यालय अभिलेखों होगा।
4. भवन मानचित्र स्वीकृति भवन का मानचित्रों के अनुसार भवन का मूल्यांकन विभागी निर्णय विभाग द्वारा मूल्यांकित भवन होगा तथा मूल्यांकन कृपया न विभागीय प्रस्तुत करना होगा।
5. शेष स्वीकृति प्रकरण के प्राधिकार पत्रों के अनुसार भवन पर की विक्रय कार्य पूर्ण करनी होगा।
6. मुख्य प्रकरण एवं उप प्रकरण प्रकरण होगा तथा प्राधिकार पत्रों का विक्रय अनुमन्य नहीं होगा।
7. भवन मानचित्र स्वीकृति भवन पर निकाला प्राधिकार पत्रों परिवार पत्रों विक्रय किया जा सकता एवं प्राधिकरण मानचित्रों के अनुसार भूमि भवन निर्माण होगा।
8. भवन मानचित्र स्वीकृति प्रकरण में विभागीय प्रकरण के पश्चात् प्राधिकरण प्रकरण के बी.के.डी. में दी गई आवासीय अवासीय कुल क्षेत्रफल के भवन मानचित्रों अनुसार ही परियोजना संचालन होगा।
9. शेष एकल के विक्रय रोकी कोर्ट का अनुपालन करने की शर्त भवन निर्माणानुसार शेष भवन का मूल्यांकन करना होगा।
10. भवन का मानचित्र परियोजना अनुमतियों अनुसार प्रस्तुत होगा।
11. यदि कोई तकनीकी त्रुटि है तो प्राधिकरण द्वारा नोटी जारी एवं प्राधिकरण उसका करना होगा।
12. यदि परियोजना में ऐसी कोई भवन उपलब्ध है जहाँ ये कि विभागाध्यक्ष द्वारा कोई उपयुक्त भवन मानचित्र की परियोजना करना नहीं चाहें तो उसका निर्णय प्राधिकरण का अनुमोदन नहीं विक्रय का भवन है तो मानचित्र स्वयं विक्रय भवन मानचित्र करना।

भवन मानचित्र प्रकरण द्वारा भवन मान्य होने पर विक्रय प्रतिबंधित
[illegible] के विभिन्नताओं पर विक्रय कोर्ट में किया जा सकता है।

DOOR WINDOW SCHEDULE

S.No.	TYPE	No.	WIDTH	HEIGHT	SILL LVL	SHT. LVL
1	D	1	1000	2100	-	2100
2	D	2	900	2100	-	2100
3	D	3	800	2100	-	2100
4	D	4	750	2100	-	2100
5	D	5	1000	2100	-	2100
6	ADD	1	900	900	900	1800
7	ADD	2	900	900	900	1800
8	ADD	3	900	900	900	1800
9	W	1	1800	1200	1000	2200
10	W	2	1500	1200	1000	2200
11	W	3	1200	1200	1000	2200

LEGEND

1	FIRE EXIT
2	FIRE EXTINGUISHER
3	FIRE HYDRANT
4	SUBSTATION/ELECTRICAL
5	DG SET ROOM
6	SUMP/SEPTIC TANK
7	SUMP/WATER SUPPLY TANK
8	OVERHEAD WATER TANK
9	CHARGE AREA
10	CHARGE AREA WITH SHUTTER
11	SHAFT
12	OVERFLOW WATER WORK
13	FIRE SHUTTER
14	FLOOR DRAIN
15	FLOOR TRAP

Ground coverage calculation for Tower 7,8,10,12,13,14,16,18 (Cluster -01), 5+14 Floors

Typical floor area cluster -1		501.14 sqm
FAR free Balconies area	12.00	4.00 sqm
	12.00	5.00 sqm
Ground coverage area for cluster -1		514.14 sqm
Number of towers of cluster-1	7	
Total ground coverage of eight towers		3600.23 sqm

AREA CALCULATION FOR CLUSTER 01 (GROUND FLOOR AREA)

S.No.	Dimensions	Length	Breadth	Nos.	Additional	Deduction	Area	Total
1	12.00	1.00	1.00	1	12.00			
2	1.00	1.00	1.00	1	1.00			
3	1.00	1.00	1.00	1	1.00			
4	1.00	1.00	1.00	1	1.00			